# न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

**अपील सं. 03/2023**

बुधराम पुत्र श्री मंगतराम, आयु 44 वर्ष, जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. पप्पूराम पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
3. बनवारी पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
4. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार जाति बाल्मिकी निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
5. हरफूल पुत्र श्री महावीर जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।
6. विकास पुत्र श्री महावीर जाति बाल्मिकी, निवासी पीरकामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
7. स्टेट जरिये तहसीलदार (भू०अ० ) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 तहसीलदार (भू०अ०) टिब्बी, जिसकी रूह से चक 19 एन. जी.सी. "ए" तहसील टिब्बी के खाता संख्या 9 की 1.405 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त इन्तकाल आदेश व स्वीकार किये जाने अपील

उपस्थितः— 1. श्री लालचन्द वर्मा, कैलाश कुमार धामू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 23.04.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 19 एनजीसी "ए" तहसील टिब्बी के खाता संख्या 9 / 10 जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 में कृष्ण कुमार पुत्र पुनू जाति बाल्मिकी निवासी पीरकमाड़िया के नाम 1.405 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी, जिसका विवरण इस प्रकार है कि पत्थर नंबर 194/257 (10) किला नंबर 16/2/0.127, 17,18,22/3/0.013, 23 से 25 तादादी = 1.405 है0 कुल = 1.405 है0 है। खातेदार कृष्ण कुमार ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि चक 19 एनजीसी "ए" के खाता संख्या 9 / 10 के पत्थर नंबर 194 [illegible] 0.127 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि सप्रतिफल जरिये पंजीकृत बैयनामा [illegible].2019 अपीलाण्ट को विक्रय कर दी। अपीलाण्ट ने उक्त [illegible] पर अपनी खरीद शुदा 0.127 हैक्टेयर कृ[illegible] दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का श्री राजेन्द्र निमीवा[illegible] सम्पर्क किया तो पटवारी द्वारा बताया कि उक्त कृषि भूमि पर खातेदार कृष्ण कुमार [illegible] बैंक ऋण लिया हुआ है, इस कारण इस बैयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता। जैसे ही खातेदार कृष्ण कुमार अपनी उक्त भूमि को बैंक ऋण से मुक्त करवायेगा तो इस बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर दिया जावेगा। इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

(6)

अपीलाण्ट ने असल बैयनामा पटवारी को सुपुर्द कर दिया तथा उनके आश्वासन अनुसार आश्वस्त हो गया कि रहन मुक्त होते ही उसकी खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज हो जायेगा। दिनांक 08.02.2023 को अपीलाण्ट ने नामान्तरण के संबंध में पटवारी हल्का से पूछा तब पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को सर्वप्रथम अवगत करवाया कि उक्त भूमि का तो नामान्तरण कृष्ण कुमार की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज हो चुका है, अपीलाण्ट के बैयनामा दिनांक 16.05.2019 का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। इस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 08.02.2023 को अविलम्ब नामान्तरण व जमाबन्दी का प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब अपीलाण्ट को सर्वप्रथम इस अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ है। अपीलाण्ट उक्त वर्णित कृषि भूमि में से किला नंबर 25 की 0.127 हैक्टेयर भूमि का क्रेता है जिसके पक्ष में कृष्ण कुमार ने दिनांक 16.05.2019 को पंजीकृत बैयनामा निष्पादित करवाया हुआ है तथा बैयनामा के दिवस से प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा आज भी प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। अपीलाण्ट अपीलाधीन इन्तकाल से प्रत्यक्षतः व सारवान रूप से प्रभावित है, इस कारण अपीलाण्ट बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. पृथक से प्रस्तुत है। अपीलाण्ट इस इन्तकाल आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

आक्षेपित अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 कतई गलत, विधि विरूद्ध, मनमाना एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत खाता संख्या 9 की 1.405 हैक्टेयर भूमि कृष्ण कुमार की एकल खातेदारी भूमि थी जिसमें से उसने पत्थर नंबर 194 / 257 के किला नंबर 25 की 0.127 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.05.2019 अपीलाण्ट को सप्रतिफल विक्रय कर दी थी जिसका ज्ञान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 को सदैव से है फिर भी उन्होनें बैयनामा दिनांक 16.05.2019 को छुपाकर कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से इंतकाल संख्या 400 दर्ज करवाया है। प्रश्नगत किला नंबर 25 की 0.127 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण में है तथा अपीलाण्ट के पक्ष में कृष्ण कुमार द्वारा बैयनामा निष्पादित करवाया हुआ है फिर भी पटवारी हल्का ने बिना किसी दस्तावेजी व भौतिक जांच के आक्षेपित इंतकाल दर्ज किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को अपीलाधीन इंतकाल आदेश की जानकारी दिनांक 08.02.2023 को इंतकाल संख्या 400 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई तथा अविलम्ब दिनांक 08.02.2023 को अपीलाधीन इंतकाल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर व्यथित पक्षकार की हैसियत से विधिक राय अधीन उक्त इंतकाल आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 08.02.2023 तक की अवधि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपवर्जित करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है तथा उक्त अवधि को अपवर्जित करवाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है। न्यायहित में उक्त समयावधि माफ फरमाते हुये यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी हुये। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 06 इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.04.2024 को अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पो सं0 07 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.02.2023 को इंतकाल सं0 400 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई। अपीलांट दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 08.02.2023 तक की अवधि धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपवर्जित करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(7)

आकर्षित कराते हुए अपील को अंदर मियाद माने जाने का निवेदन किया। अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (भू0अ0) टिब्बी द्वारा कृष्ण कुमार की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 विधि अनुसार है, इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। पत्रावली अवलोकन में पाया कि–

1. अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र पुनू जाति बाल्मिकी निवासी पीरकमाड़िया के नाम चक 19 एनजीसी "ए" तहसील टिब्बी के पत्थर नंबर 194/257 (10) किला नंबर 16/2/0.127, 17, 18, 22/3/0.013, 23 से 25 तादादी = 1.405 है0 कुल = 1.405 है0 भूमि नामान्तरण सं0 400 दिनांक 15.11.2021 एवं जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) के अनुसार दर्ज थी, जो संलग्न पत्रावली है।
2. उक्त प्रश्नगत खाता संख्या 9 की 1.405 हैक्टेयर भूमि कृष्ण कुमार की खातेदारी भूमि थी, जिसमें से उसने पत्थर नंबर 194 / 257 के किला नंबर 25 की 0.127 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.05.2019 अपीलाण्ट को विक्रय कर दी थी।
3. उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.05.2019 होने के बावजूद तहसीलदार (भू०अ० ) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा अपीलांट की खरीदशुदा भूमि का विरासतन अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र पुनू के वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 द्वारा दर्ज कर दिया गया। जबकि विकय की गई भूमि का नामान्तरण वारिसान के बजाय केता के नाम होना चाहिए था।

उक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार (भू०अ०) टिब्बी द्वारा दर्ज इन्तकाल विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। तहसीलदार (भू०अ०) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार (भू०अ०) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि विकयशुदा भूमि एवं विकेता की शेष विरासतन भूमि का नियमानुसार 02 माह में पुनः इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करने हेतु कार्यवाही करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

(उमेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़